

6.6.18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच
को अध्यात्मनरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 15.6.18
के स्थान पर दिनांक 6.6.18 को राजस्व लोक
अदालत बेंच स्थान जौड़ा के
अधीन प्रस्तुत हो, तदनुसार

[Signature]
सहायक कलेक्टर (SDO), चौहटन

6.6.18

पत्रावली काज राजस्व लोक अदालत ल्याप आये
हार 2018 के कैम्प जौड़ा में पेश हुई। मूलकाद
विश्लेषण किया जा चुका है। कृषक आवेदक के
आजामी कार्यवली इली स्तर पर समाप्त की
जाती है। पत्रावली के सल शुभार होकर दण्डित
दफ्तर है।

[Signature]
सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन